(Authoritative English Text of this Department's Notification No. LCD- F (5) - 2/2001- L, Dated 61-06-2016 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India).

248

JATTU16

with The

Government of Himachal Pradesh
Department of Language, Art and Culture

No. LCD-F (5) - 2/2001-L

Dated Shimla-II

of May, 2016

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition at Bantony Castle, Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla;

The proposed land at Bantony Castle, Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla measuring 3874-39 sq.meters (5-3) bighas, comprising of Khasra Nos. 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 and 898 is to be acquired by the Language, Art & Culture Department of the State Government with the objective of setting up of Urban Museum for the use of General Public for promotion of Art & Tourism in the State besides conservation and preservation of Heritage properties of the State for posterity and which will also be helpful in creating a larger awareness among the society;

Thus, it is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Assessment will render this exercise as null and void and the Social Impact Assessment will be carried out within a period of six months from its commencement. The Social Impact Assessment Unit shall hold consultations, survey and public hearings:-

Sr. No.	Name &Address	Contact Information
1.		Ph0177-2734777 M- 094180-22240

		,
1	91	^
(.	M	9
1		//
1		/

2.	Sh. Satish Sharma, The Incharge, State Institute of Rural Development, HIPA, Shimla		M- 094595-82482
3.	Dr. Mohan Lal Jharta, Head, Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla	Member	M- 094181-70553
4.	Dr. Hemant Gupta, Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla	Member	M- 094180-20469

By Order

(Anuradha Thakur)
Secretary (LAC) to the
Govt. of Himachal Pradesh
the 01 May, 2016

Endst. No. LCD- F (5)-2/2001-L Dated Shimla-II, the Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Addl. Chief Secretaries, Principal Secretaries and Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

2. Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh

3. The Private Secretary to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.

4. The Private Secretary to the Addl. Chief Secretary-cum- Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh

 The Director LAC, Himachal Pradesh, Shimla-9 with the request to publish the notification in two daily newspapers and to affix the same at conspicuous places within the affected area.

6. The Director, Information & Public Relations, H.P., Shimla-2.

7. The Deputy Commissioner, District Shimla.

8. The Chairperson, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.

9. The Sub- Divisional Magistrate (Urban), Shimla.

10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1.

11. The Tehsildar, Tehsil, Shimla.

12. All the Members of the Social Impact Assessment Unit. (By Name).

13. Guard File.

Special Secretary (LAC) to the Govt. of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग



संख्या:-एल.सी.डी.-एफ (5)-2/2001-एल

तारीखः शिमला-2 01मई, 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमंति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैण्टनी कैसल, उप—मुहाल कालीबाड़ी, तहसील शिमला (शहरी), जिला शिमला के प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं;

खसरा नम्बर 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897 और 898 में समाबिष्ट, बैण्टनी कैसल, उप—मुहाल काली— बाडी, तहसील शिमला (शहरी) जिला शिमला की प्रस्तावित भूगि रकबा 3874—39 वर्ग मीटर (5—3) बीघा को राज्य सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य में भावी पीढ़ी के लिए राज्य की धरोहर सम्पतियों के संरक्षण और परिरक्षण के अतिरिक्त राज्य में कला एवं पर्यटन के अभिवृद्धि के लिए जनसाधारण के उपयोग हेतु शहरी संग्रहालय स्थापित करने के उद्देश्य से अर्जित किया जाना है, जो समाज में व्यापक जागरूकता लाने में भी सहायक होगी;

इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा और सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास की अविध के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई परामर्श, सर्वेक्षण और जन सुनवाई करेगी:—

क्रं	नाम एवं पता		सूवना सम्पर्क
सं 1.	श्रीमती मधुबाला शर्मा, निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयर लॉन, शिमला।	Olega,	दूरभाष न०-0177-2734777 मोबाईल न०-094180-22240

	2.	श्री सतीश शर्मा,	सदस्य		गोबाईल न०-094595-82482
		प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास			11412(1) 10 034333 62462
		संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक			
		प्रशासन संस्थान, फेयर लॉन,			
7		शिमला।			
	3.	डॉ० मोहन लाल झारटा,	सदस्य		मोबाईल न०-094181-70553
		विभागाध्यक्ष,			
		समाजशास्त्र एवं सामाजिक		1 14	
		कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश		-	
		विश्वविद्यालय, शिमला।			
	4.	डॉ० हेमन्त गुप्ता,	संदस्य		मोबाईल न०-094180-20469
		मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी,			
	-	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी			
		विभाग, शिमला।			

आवेश द्वारा

(अन्राधा ठाकुर) सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या- :-एल.सी.डी.-एफ (5)-2/2001-एल तारीख शिमला-2 01 म्हें, 2016 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव हिगाचल प्रदेश सरकार।

निजी सचिव, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।

निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार।
- निदेशक, भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को इस अनुरोध के साथ की उक्त अधिसूचना को दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाएं और इसे प्रभावित भूमि में सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाएं।

6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिगला।

उपायुक्त शिमला, जिला शिमला।

- अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन, शिमला।
- 9. उप-मण्डल अधिकारी (शहरी), शिमला।

10. आयुक्त, नगर निगम शिमला-1

11. तहसीलदार शिमला, तहसील शिमला।
12. सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई के समस्त सदस्य (नाग से)। और स्मतीका क्रामीण मिनारी, राज्य क्रामीण स्मिश्र स्मर्थान, हि प्र

विशेष सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार